पंत्राक 790 /07 व्यघ–सा0/2019 दिनांकः– 14/10/2020

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1157/व्यघ–सा0/2019 दिनांक 23.12.2019 द्वारा प्रख्यापित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–03 कमांक–658 से 1020 तक में लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2004 एवं 2005 में तदर्थ रुप से नियुक्त कुल–05 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिनका विनियमितिकरण इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या– 378/41 व्यघ–सा0/16 दिनांक 17.03.2016 द्वारा किया गया है के नाम उक्त निर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–03, कमांक–658 से 1020 तक में अंकित होने से छूट जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 524/07 व्यघ–सा0/2019 दिनांक 19.08.2020 द्वारा इन विनियमित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता, कमांक– 935 ए, 935 बी, 935 सी, 935 डी एवं 935 ई पर निर्धारित कर परिचालित करते हुये समस्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से अपेक्षा की गयी थी कि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति होने पर अपना प्रत्यावेदन पत्र निर्गत होने के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें। यह भी निर्देशित था कि निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे और उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदन पर ही सम्यक रूप से विचार करते हुये अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 524/07 व्यघ–सा0/2019 दिनांक 19.08.2020 द्वारा जारी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर आपत्ति सम्बन्धी कुल 02 प्रत्यावेदन प्राप्त हुए इन प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 720/07 व्यघ–सामान्य/2019 दिनांक 18.09.2020 द्वारा 05 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा अपने पत्र संख्या 769/07 व्यघ–सामान्य/2019 दिनांक 03.10.2020 से दिनांक 05.10.2020 को बैठक आहूत की गयी तथा इन आपत्तियों /प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर संस्तुति पत्रांक– 788/07 व्यघ–सामान्य /19 दिनांक06.10.2020 द्वारा बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत कर की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	नाम/ पदनाम/तैनाती कार्यालय	कनिष्ठ अभियन्ता (सि0) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का कमांक	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थीगणों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण	समिति की टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री कुन्दन सिंह जीना, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी	935 बी	शासनादेश संख्या 1525/III–2/72 (रि0या0)/ 2004 दिनांक 05.08.2004 के अनुपालन में एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर–I के पत्रांक 840/41 व्यघ– उत्तरांचल /2004 दिनांक 07.08. 2004 के कम में मुझे रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, तद्उपरान्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–I द्वारा पुनः अपने पत्रांक सं0 909/41 व्यघ–उत्तरांचल/2004 दिनांक 20.08.2004 को लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियमित किये जाने हेतु लिखा गया। रिट याचिका संख्या 7104 /2001 श्री भुवन चन्द्र जोशी एवं 5 अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य के सन्दर्भ में श्री एन0 रविशंकर, तत्कालीन सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में अपने शपथ पत्र में नियमित नियुक्ति से पूर्व उक्त रिट याचिका के सदस्यों को नियमित नियुक्ति से पूर्व उक्त रिट याचिक. के सदस्यों को नियमित नियुक्त किये जाने का शपथ पत्र दिया गया था, परन्तु अपने शपथ पत्र के कमानुसार अनुपालन न कर हमें रिक्त पदों के सापेक्ष कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गयी।	शासकीय पत्र संख्या– 1322/III(1)/ 15–77(रि0या0)/2004 दिनांक 01.10.2015 द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार तदर्थ रुप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के कम में विनियमितीकरण नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 378/41 व्यघ–सा0/16 दिनांक 17.03.2016 द्वारा आपत्तिकर्ता का विनियमितीकरण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर किया गया। चूँकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम–8 के प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित किये जाने का प्राविधान है तथा विनियमितीकरण नियमावली 2013 के नियम 8(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विनियमितीकरण का आदेश जिस तिथि को जारी किया जायेगा, उसी तिथि से कार्मिक को उस पद पर मौलिक

कमशः– 02 पर

			महोदय तत्कालीन शासनादेश के अनुपालन में नियमित कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति से पूर्व रिक्त पदों के सापेक्ष हमें तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओं के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त शासन के पत्रांक 1332/III(1)/15–72 (रि0या0) / 2004 दिनांक 01.10.2015 के अनुपालन में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल/वि0) का विनियमितीकरण हेतु तत्कालीन विभागाध्यक्ष के कार्यालय ज्ञाप संख्या III/41 व्यघ–सा0/96 दिनांक 30.01.2016 से की गयी, संस्तुति के आधार पर प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 378/41 व्यघ–सा0/16 दिनांक 17.03.2016 को तदर्थ नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ताओं के विनियमितीकरण करने के आदेश पारित किये गये। माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के क्रम में मुझे नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति से पूर्व दिनांक 07.08.2004 को निमित नियुक्ति न देकर रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी, जबकि मुझे तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व नियुक्ति दी जानी थी, लगभग 12 वर्ष के पश्चात् विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई, जो कि औचित्यहीन है। जबकि मुझे तदर्थ नियुक्ति के बाद अविलम्ब नियमित नियुक्त प्रदान की जानी थी। अतः अनुरोध है कि मुझे विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 935 के उपरान्त/बाद में रखा जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि मेरा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची में नाम वर्ष 2004 में नियुक्त नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व की दी जानी चाहिए थी। वर्तमान में पारित ज्येष्ठता सूची मुझे मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में वर्तमान में भी ज्येष्ठता/रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति हेतु वाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है। अतः कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची संशोधित करते हुए मुझे वर्ष 2004 में नियुक्त नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए ज्येष्ठता सूची में नाम दर्ज करने की कृपा करेंगे।	रुप से नियुक्त माना जायेगा और पूर्ववर्ती किसी तिथि से मौलिक नियुक्त नही माना जायेगा। जिसके अनुसार आपत्तिकर्ता की मौलिक नियुक्ति की तिथि 17.03.2016 है। अतः विनियमितीकरण नियमावली 2013 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के **ज्ञाप दिनांक 19.08.2020 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित ज्येष्ठता उचित है तथा ज्येष्ठता संशोधन हेतु आपत्तिकर्ता द्वारा कॉलम–04 में की गयी आपत्ति ग्राह्य नहीं है।**
2	श्री गजेन्द्र तिवाड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी	935 डी	शासनादेश संख्या 1525/III–2 /72 (रि0या0)/2004 दिनांक 05.08.2004 के अनुपालन में एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर–I के पत्रांक 840/41 व्यघ– उत्तरांचल /2004 दिनांक 07.08.2004 के क्रम में मुझे रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी, तद्उपरान्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–I द्वारा पुनः अपने पत्रांक सं0 909/41 व्यघ–उत्तराचंल/2004 दिनांक 20.08.2004 को लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून को रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियमित किये जाने हेतु लिखा गया। रिट याचिका संख्या 7104/2001 श्री भुवन चन्द्र जोशी एवं 5 अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य के सन्दर्भ में श्री एन0 रविशंकर, तत्कालीन सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में अपने शपथ पत्र में नियमित नियुक्ति से पूर्व उक्त रिट याचिका के सदस्यों को नियमित नियुक्ति से पूर्व उक्त रिट याचिका के सदस्यों को नियमित नियुक्त किये जाने का शपथ पत्र दिया गया था, परन्तु अपने शपथ पत्र के क्रमानुसार अनुपालन न कर हमें रिक्त पदों के सापेक्ष कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गयी।	शासकीय पत्र संख्या–1322/III(1)/15–77 (रि0या0)/2004 दिनांक 01.10.2015 द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार तदर्थ रुप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितीकरण किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 378/41 व्यघ –सा0/16 दिनांक 17.03.2016 द्वारा आपत्तिकर्ता का विनियमितीकरण कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर किया गया। चूँकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम–8 के प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आधार पर निर्धारित किये जाने का प्राविधान है तथा विनियमितीकरण नियमावली 2013 के

1	2	3	4	5
			महोदय तत्कालीन शासनादेश के अनुपालन में नियमित कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति से पूर्वरिक्त पदों के सापेक्ष हमें तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओं के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी, जिसके उपरान्त शासन के पत्रांक 1332/ III(1) /15–72(रि0या0)/2004 दिनांक 01.10.2015 के अनुपालन में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल/वि0) का विनियमितीकरण हेतु तत्कालीन विभागाध्यक्ष के कार्यालय ज्ञाप संख्या III/41 व्यघ–सा0/96 दिनांक 30.01.2016 से की गयी, संस्तुति के आधार पर प्रमुख अभियन्ता के पत्रांक 378/41 व्यघ–सा0/16 दिनांक 17.03.2016 को तदर्थ नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ताओं के विनियमितीकरण करने के आदेश पारित किये गये। माननीय उच्च न्यायालयों के आदेशों के क्रम में मुझे नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति से पूर्व दिनांक 07.08.2004 को निमित नियुक्ति न देकर रिक्त पदों के सापेक्ष तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गयी, जबकि मुझे तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व नियुक्ति दी जानी थी, लगभग 12 वर्ष के पश्चात् विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई, जो कि औचित्यहीन है। जबकि मुझे तदर्थ नियुक्ति के बाद अविलम्ब नियमित नियुक्त प्रदान की जानी थी। अतः अनुरोध है कि मुझे विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 935 के उपरान्त/बाद में रखा जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि मेरा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची में नाम वर्ष 2004 में नियुक्त नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व की दी जानी चाहिए थी। वर्तमान में पारित ज्येष्ठता सूची मुझे मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में वर्तमान में भी ज्येष्ठता/रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति हेतु वाद माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है। अतः कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची संशोधित करते हुए मुझे वर्ष 2004 में नियुक्त नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं से पूर्व नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए ज्येष्ठता सूची में नाम दर्ज करने की कृपा करेंगे।	नियम 8(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विनियमितीकरण का आदेश जिस तिथि को जारी किया जायेगा, उसी तिथि से कार्मिक को उस पद पर मौलिक रुप से नियुक्त माना जायेगा और पूर्ववर्ती किसी तिथि से मौलिक नियुक्त नही माना जायेगा। जिसके अनुसार आपत्तिकर्ता की मौलिक नियुक्ति की तिथि 17.03.2016 है। अतः विनियमितीकरण नियमावली 2013 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार आपत्तिकर्ता की प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के **ज्ञाप दिनांक 19.08.2020 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित ज्येष्ठता उचित है तथा ज्येष्ठता संशोधन हेतु आपत्तिकर्ता द्वारा कॉलम–04 में की गयी आपत्ति ग्राह्य नहीं है।**

अतः उपरोक्तानुसार समिति से प्राप्त आख्या/निर्णय/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त **उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यॉत्रिक) सेवा नियमावली 2007 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार** कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1157/व्यघ–सा0/2019 दिनांक 23.12.2019 से प्रख्यापित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–3 ज्येष्ठता क्रमांक 658 से 1020 तक में कार्यालय ज्ञाप संख्या– 524/07 व्यघ–सा0/2019 दिनांक 19.08.20 के द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक– 935 ए, 935 बी, 935 सी, 935 डी0 एवं 935 ई पर 05 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता, ज्येष्ठता क्रमांक 935 एवं 936 के मध्य निम्नवत् निर्धारित कर एतद्द्वारा प्रख्यापित की जाती है:–

ज्येष्ठता क्रमांक	नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	जाति	लोक सेवा आयोग का सन्दर्भ	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/विनियमितीकरण का सन्दर्भ
935	राखी	स्व0 रणजीत सिंह	09.01.90	अनुसूचित जाति	106/12/ई0–2/11–12 दिनांक 24.07.2013	723/28 व्यघ–सामान्य/13 दिनांक 01.08.2013
935 ए	भुवन चन्द्र जोशी	देवीदत्त जोशी	14.01.62	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	378/41 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 17.03.2016
935 बी	कुन्दन सिंह जीना	भवान सिंह जीना	22.09.63	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	378/41 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 17.03.2016

ज्येष्ठता क्रमांक	नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्मतिथि	जाति	लोक सेवा आयोग का सन्दर्भ	कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर विभाग में नियुक्ति/विनियमितीकरण का सन्दर्भ
935 सी	मनमोहन सिंह जीना	जीवन सिंह जीना	08.06.64	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	378/41 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 17.03.2016
935 डी	गजेन्द्र तिवारी	महेश चन्द्र तिवारी	16.11.61	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	378/41 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 17.03.2016
935 इ	कैलाश चन्द्र पाण्डे	बालादत्त	30.06.65	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	378/41 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 17.03.2016
936	रणजीत बहादुर	काशीनाथ	15.09.72	सामान्य	विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अन्तर्गत विनियमित किया गया	1498/145 व्यघ–सामान्य/16 दिनांक 28.10.2016

E/O

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि क्षेत्रीय/वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के मध्य यह सूची परिचालित (सर्कुलेट) करा दें एवं उनका इकनॉलेजमेन्ट प्राप्त कराकर उनको व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रख दें।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, ...।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.....वां वृत्त, लो0नि0वि0, ...।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ...खण्ड, लो0नि0वि0, ...।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची को अपने खण्ड से सम्बन्धित आपत्तिकर्ता श्री कुन्दन सिंह जीना, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं श्री गजेन्द्र तिवाड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

14/10/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

13/10/2020